ISSN 2231-1629
Knowledge Resonance

IMPACT FACTOR 8.072
January - June 2021- Vol. 10 No. 1

ग्रामीण महिलाओं पर मनरेगा का प्रभाव : एक सामाजिक–आर्थिक अध्ययन

(झारखण्ड के पूर्वी सिंहभूम जिला के गोलमुरी–सह–जुगसलाई प्रखण्ड के ब्यांगबिल पंचायत के विषेश सन्दर्भ में)

डॉ. संजय कुमार झा
समाजशास्त्र विभाग,
ए. बी. एम कॉलेज, जमशेदपुर,
कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा।

★★★

संक्षेप – सामाजिक व्यवस्था का अंग–प्रत्यंग रोजगार से प्राणित होता है। रोजगारहीनता की स्थिति में किसी की अनुकम्पा से जीवनयापन की प्रक्रिया तो चलती है परन्तु आत्मविश्वास के दर्पण से झांकती आत्मच्युति और आत्महीनता एक स्वाभाविक दुश्परिणाम के रूप में समाज में उभर कर सामने आती है। बेरोजगारी से सामाजिक अराजकता उत्पन्न होती है। रोजगार की यह चुनौती नगरीय समाज की तुलना में ग्रामीण समाज में अधिक चिन्ताजनक है। ग्रामीण अकशल श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम, 2005, जो वर्ष 2006 में लागू हुआ, वह सक्षम और इच्छुक वयस्क व्यक्ति को वर्ष में कम से कम 100 दिनों का कार्य दिए जाने का कानूनी अधिकार देता है। प्रस्तुत शोध आलेख का मुख्य उद्देश्य विगत 14 वर्षों से इन कानून का पूर्वी सिंहभूम जिले के जनजातीय बहुल इलाके के ग्रामीण महिलाओं पर होनेवाले प्रभाव का अध्ययन करना है। वैज्ञानिक विधि से उद्देश्यपूर्ण निदर्शन प्रणाली का उपयोग करते हुए, अनुसूचित प्रपत्र के माध्यम से प्राथमिक आँकड़ों का संकलन तथा सांख्यिकी विधि से विश्लेषण एवं विवरणात्मक और आनुभाविक पद्धति के आधार पर यह अध्ययन किया गया है, जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि इस कानून से गाँव में परिसम्पत्ति का निर्माण तो हुआ है, साथ ही ग्रामीण महिलाएं भी सामाजिक–आर्थिक रूप से सषक्त हो रही है परन्तु मजदूरी की दर कम होने कारण मानवीय गुणवत्ता में सुधार करने में यह आज भी असमर्थ है। जिसके कारण ग्रामीण महिलाएं आज भी सामाजिक–आर्थिक रूप से अपने पति अथवा पुरूष अभिभावक पर आश्रित रहती है।

सूचक ाब्द – अकशल श्रमिक, मनरेगा, कानूनी अधिकार, रोजगार, जॉब कार्ड, परिसम्पत्ति, सशक्तिकरण।

परिचय – किसी भी राष्ट्र के वजूद के लिए (मनुष्य) मानव का होना जरूरी है और मानव के वजूद के लिए जरूरी है भोजन, वस्त्र तथा आवास। जिसे सामान्य बोल–चाल में रोटी, कपड़ा और मकान के तौर पर मनुष्य की बुनियादी जरूरतों में गिना जाता है। इन्हीं बुनियादी जरूरतों की पूर्त्ति के लिए मनुष्य को जरूरत पड़ती है रोजगार की। रोजगार से अर्जित धनराशि से ही मनुष्य अपने और अपने परिवार के लिए बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। रोजगार मनुष्य के लिए ही नहीं बल्कि सामाजिक व्यवस्था के लिए प्राणधारा है और समाज की हर गतिविधि और अर्थव्यवस्था धनागम पर टिकी है जो रोजगार के लिए स्वभाविक अर्जन है। यही वजह है कि सामाजिक व्यवस्था का अंग–प्रत्यंग रोजगार से प्राणित है। हर मनुष्य रोजगार के प्रति उन्मुख है, समाज में कितने व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध है यह अलग बात है। परन्तु हर व्यक्ति रोजगार की चाह रखता है। रोजगारहीनता की स्थिति में किसी की अनुकम्पा से जीवनयापन तो हो जाता है किन्तु आत्मविष्वास के दर्पण से झाँकती आत्मच्यूति और आत्महीनता भी तब तक स्वभाविक दुष्परिणाम के तौर पर सामने आती है। विकास, प्रतिभा, आत्मविश्वास और आत्मत्ता की बलि अन्ततः मनुष्य की गरिमा को घटाती है। किसी भी राष्ट्र के स्वास्थ्य का थर्मामीटर यह है कि कितनी संख्या में उसके नागरिक रोजगार प्राप्त है, क्योंकि नागरिक ही किसी राष्ट्र का आध ारभूत तथा अविभाज्य आस्तित्व है। यही वजह है कि भारत में आजादी के बाद से ही अधिक से अधिक लोगों को रोजगारसंपन्न बनाने के प्रयासों को पहली प्राथमिकता दी गई ताकि नागरिकों को गरिमाकूल, और समर्थ–सम्पन्न बनाया जा सके।

रोजगार उपलब्ध नहीं होने पर बेरोजगारी से उत्पन्न सामाजिक अराजकता विकराल रूप धारण कर सकती है। इसके दुप्रभाव सबको झेलने पड़ते हैं। बढ़ती बेरोजगारी और उससे उत्पन्न खतरों पर विचार करना देश की पहली राष्ट्रीय आवश्यकता है जिसमें पंचायतों की भूमिका क्रान्तिकारी और सृजन की दिशा में परिवर्त्तनकारी सिद्ध होती है। रोजगार की यह चुनौती शहरों की तुलना में गाँवों में अधिक चिन्ताजनक है।

आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ग्रामीण भारत के विकास हेतु सरकार ने कई विकास तथा रोजगारपरक योजनाएं आजादी के बाद से चलायी है। खासतौर से भारतीय संविधान में विद्यमान मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्त्तव्य मूलतः संगठित क्षेत्र के कामगारों की सुरक्षा करते हैं, परन्तु असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए इस प्रकार के प्रावधानों की कमी दिखाई पड़ती है। महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी अधिनियम असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की माँग पर आधारित व्यवस्था है जो उनको सामाजिक तथा आर्थिक स्तर पर सशक्त करने का प्रयास करता है। डा. दुर्गा दास बसु (2013) की पुस्तक "भारत का संविधान : एक परिचय" से स्पष्ट होता है कि संविधान के भाग

अनुच्छेद 41 में वर्णित है कि ''राज्य काम तथा शिक्षा पाने के तथा बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी तथा अशक्तता की स्थिति में लोक सहायता पाने के लिए प्रबन्ध करे।

ग्रामीण भारत की चलायी गयी योजनाओं में अकुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सुनिश्चित करने हेतु राश्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम, 7 सितम्बर, 2005 को पारित किया गया, जिसकी शुरूआत 2 फरवरी, 2006 से आन्ध्रप्रदेश के अनन्तपुर जिले में की गई। महात्मा गाँधी की 140वीं जयंती पर 2 अक्टूबर, 2009 को इस योजना का नया नामकरण करते हुए "महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम" रखा गया। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार के अकुशल परन्तु सक्षम और इच्छुक व्यस्क व्यक्ति को एक साल में कम से कम 100 दिनों का कार्य दिये जाने का कानूनी अधिकार दिया गया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना की शुरूआत तीन चरणों में की गई। प्रारम्भिक चरणों में इसे देश के पायलट परियोजनाओं के रूप में 200 जिलों में, उन सभी 150 जिलों को भी शामिल किया गया, जहाँ काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू किये गए। इन 200 जिलों में उत्तर प्रदेष और पश्चिम बंगाल के 22 जिलों, बिहार के 23, झारखण्ड के 20, उड़ीसा के 19, आन्ध्रप्रदेष के 13, महाराष्ट्र के 12, छत्तीसगढ़ के 11, असम में 7, गुजरात और तमिलनाडु के 6 तथा कर्नाटक के 5 जिलों को शामिल किया गया। इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2006–07 में 8600 करोड़ रू0 आवंटित किये गए। वर्ष 2007–08 में इस योजना का विस्तार 130 और जिलों में किया गया, जिससे जिलों की संख्या बढ़कर 330 हो गयी। तथा 1 अप्रैल 2008 से देश के सभी जिलों में इसे लागू कर दिया गया। मनरेगा योजना के वित्तीय प्रबन्धन में 90 प्रतिशत खर्च केन्द्र सरकार और 10 प्रतिशत खर्च राज्य सरकार वहन करती है। जबकि स्थानीय निकाय (ग्राम सभा) किये जाने वाले कार्यों की सिफारिश करती है तथा कम से कम 50 प्रतिष्शत कार्यों का क्रियान्वयन ग्राम पंचायतें करती है।

मनरेगा योजनान्तर्गत भावी जरूरतों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी परिसम्पत्तियों के सृजन करने के मृद्देनजर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम यथा–जल संभरण और जल संरक्षण, सिंचाई सुविधा का प्रावधान, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति व जनजाति के भूमि सुधार, भूमि पर बागवानी, रोपण तथा भू विकास सुविधायें, टंकियों से गाद निकालना, कृषि संबंधी कार्य, समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों से संबंधित कार्य, ग्रामीण पेय जल संबंधित कार्य, बाढ़ से जुड़े कार्य, हर मौसम के लिए सुगम ग्रामीण सम्पर्कता, सुक्ष्म एवं लघु सिंचाई कार्य आदि किए जाते है।

2012 में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी अधिनियम के संदर्भ में गठित मिहिर शृाह समिति ने और कई कार्यों को संपादित करने का सुझाव दिया।

भारत में मनरेगा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि– भारत में यह योजना महाराष्ट्र राज्य में कई दशक पहले श्री बसंत राव नाईक द्वारा तैयार की गई योजना मॉडल पर आधारित है। वहाँ रोजगार गारण्टी अधिनियम, 1976 में पारित किया गया। परन्तु वहाँ यह योजना असफल रही। दूसरी ओर मानवाधिकार के सार्वभौम घोषणापत्र तथा अन्तराष्ट्रीय श्रम संगठन की आर्थिक–सामाजिक एवं सांस्कृतिक संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद भारत के ऊपर अन्तराष्ट्रीय दबाव था कि वह ऐसा करे। अन्तोत्गत्वा 7 सितम्बर, 2005 को अधिसूचित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम, 2005 द्वारा संचालित इस योजना के प्रमुख शिल्पकार बेल्जियम के प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनोमिक्स में कार्यरत ज्याँ द्रेज हैं।

भारत में मनरेगा का प्रावधान :– भारतीय गणतंत्र के 56वें दिवस पर रोजगार पाने को कानूनी अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। रोजगार सृजन करने वाली मनरेगा पहली योजना है और इस दृष्टि से यह सभी योजनाओं व कार्यक्रमों से अलग है, जो पर्लियामेंट द्वारा पारित एक्ट के द्वारा ग्रामीण जनसंख्या को रोजगार प्रदान करती है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना की संस्तुति करने वाली समिति की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गाँधी थी तथा ज्याँ द्रेज एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में थे, जिन्होंने इस योजना को गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को घेरे से बाहर निकाल कर अधिक व्यापक स्वरूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। जबकि इससे पूर्व महाराष्ट्र में रोजगार गारण्टी अधिनियम 1976 पारित हुआ था जो आज भी लागू है और यहाँ व्यक्तिगत तौर पर असीमित दिनों की काम की गारण्टी दी गयी है।

यह योजना एक माँग प्रेरित योजना है जिन जिलों में इसे लागू किया गया है, उनमें "काम के लिए अनाज" का राष्ट्रीय कार्यक्रम तथा "सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना" को विलीन किया गया है। भारत सरकार के राजपत्र, (2005) से स्पष्ट होता है कि 7 सितम्बर, 2005 को अधिसूचित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम, 2005 को भारत के राजपत्र, असासधारण भाग–11, खण्ड–1 में प्रकाशित किया गया जिसकी शुरूआत 2 फरवरी 2006 को आन्ध्र प्रदेष के वन्दापाली से की गयी।

यह अधिनियम केन्द्र सरकार द्वारा पारित और सम्पूर्ण भारत में लागू है। इस अधिनियम में कुल 32 अनुच्छेद, 6 अध्याय तथा दो अनुसूचियाँ है। साथ ही यह एक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम है।

अध्ययन से स्पष्ट होता है कि इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक परिवार के अकुशल श्रमिकों को प्रतिवर्ष 100

दिन की मजदूरी की गारण्टी देना है। राज्यों में कृषि श्रमिकों के लिए लागू वैधानिक न्यूनतम मजदूरी का भुगतान इसके लिए किया जाता है। इस योजना में 33 प्रतिशत लाभार्थी महिलायें होती हैं। रोजगार उपलब्ध न कराने पर निर्धारित दर से बेरोजगारी भत्ता प्रदान करना तथा परिसम्पत्ति का सृजन करना है। यह मात्र एक योजना नहीं बल्कि एक कानून है जो रोजगार की वैधानिक गारण्टी प्रदान करता है।

मनरेगा के क्षेत्राधीन पंचायती राज संस्था द्वारा क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं, राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा ग्रामीण विकास हेतु संचालित विभिन्न कार्यक्रमों यथा वाटर शेड मैनेजमेंट, बाढ़ तथा सूखा संरक्षण, भूमि विकास, मरूस्थल विकास, गाँवों को सड़क द्वारा जोड़ने, फॉरेस्टी जल सम्भरण आदि से संबंधित परियोजनाओं में रोजगार प्रदान किया जाता है 8 मई 2012 को संशोधित मनरेगा में खेतीबाड़ी, पशुपालन एवं मुर्गीपालन जैसे कार्यों को भी जोड़ा गया है।

इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्न क्षेत्र आते हैं :– 1) भागीदार एवं जिम्मेदारियाँ, 2) योजनाओं को प्रभावी बनाने हेतु कर्मचारियों की नियुक्ति, 3) योजनाएं बनाना, 4) पंजीयन और रोजगार पात्रता की शर्तें, 5) मनरेगा के तहत कार्य, 6) मनरेगा के तहत कार्य निष्पादन, 7) मजदूरी भुगतान एवं बेरोजगारी भत्ता, 8) कोष की व्यवस्था, 9) रिकार्ड/दस्तावेज का रख–रखाव, 10) निगरानी, मूल्यांकन और समीक्षा, 11) जवाबदेही एवं पारदर्शिता, 12) तकनीकी संसाधन, 13) शिकायत निवारण, 14) अन्य प्रावधान

अन्य प्रावधान :– अध्ययन से स्पष्ट होता है कि केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मनरेगा को सुदृढ़ करने तथा मनरेगा श्रमिकों को सबल बनाने हेतु कई अन्य प्रावधान किये हैं, जैसेः –

1. राज्य सरकार द्वारा जिला स्तर पर लोकपाल की नियुक्ति, जो कि मासिक और वार्षिक रिपोर्ट भेजता है। राष्ट्रीय हेल्पलाईन 1800110707 पर मनरेगा संबंधी पूछताछ तथा शिकायत दर्ज की जा सकती है। नरेगा के तहत 2 हेक्टेयर से कम जोत वाले सभी किसानों को स्थायी आजीविका मिलने की पहल योजना आयोग द्वारा की गई। मनरेगा में लगातार कार्य 14 दिन चलता है, एक सप्ताह में 6 दिन तथा हफ्ते में 1 दिन का अवकाश तथा मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक या दैनिक किया जाता हैं, मनरेगा श्रमिकों को अपने घर से 5 कि0मी0 की सीमा के अन्दर कार्य दिया जाता है। इससे अधिक दूरी पर कार्य मिलने पर मजदूरी का 10ः अधिक भुगतान किये जाने का प्रावधान है। मनरेगा श्रमिकों को दुर्घटना की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा मुफ्त में ईलाज, दुर्घटनाग्रस्त मजदूरों के अस्पताल में भर्त्ती होने पर मुफ्त ईलाज, दैनिक भत्ता जो उसकी मजदूरी से 50ः से कम न हो। स्थायी विकलांगता होने पर, मष्त्यु होने पर सरकार द्वारा रू0 25,000.00 की अनुग्रह राशि प्रदान की जाती है।

भारत में इस अधिनियम के तहत गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन और बुनियादी सेवाओं के लिए अनेक कार्यक्रमों को केन्द्र एवं राज्य स्तर पर क्रियान्वित किया गया है, परन्तु उनमें से मनरेगा को रोजगार पाने का कानूनी अधिकार के रूप में स्थापित किया गया है। रोजगार तथा आय सृजन समावशी विकास तथा वित्तीय समावेषन की दृष्टि से यह योजना अपने ढंग का अकेला कार्यक्रम है।

मिहिर शाह समिति :– केन्द्र सरकार ने मनरेगा की कमियों को दूर करने तथा आधुनिक और टिकाऊ बनाने हेतु उपाय सुझाने के उद्देश्य से योजना आयोग के सदस्य श्री मिहिर शाह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जिन्होंने 22 फरवरी, 2012 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। इस रिपोर्ट की मुख्य बातें इस प्रकार है :– 1) रोजगार मांगने वाले आवेदक को तिथि अंकित करके रसीद देना अनिवार्य हो। 2) ग्राम पंचायत की ओर से तथा किसी भी माध्यम से आवेदन स्वीकार्य हो। 3) कार्य मॉग करने वालों को बेवसाईट के अलावा मोबाईल पर भी आवेदन रजिस्टर की सुविधा 4) जिन कामगारों को मोबाईल या टेलिफोन की जानकारी न हो उन्हें इंटरेक्टिव वाइस रिस्पांस सिस्टम और वॉयस वनवेल्ड इंटरेक्शन की सुविधा प्रदान की जाय 5) ऐसे कर्मकार जिसे 15 दिनों में कार्य उपलब्ध नहीं करवाया गया हो उनके लिए सॉफ्टवेयर से ऑटोमेटिक आय बेरोजगारी भत्ता का पे आर्डर जारी किया जाय 6) वैध प्रार्थना पत्रों को ग्राम पंचायत या कार्यक्रम पदाधिकारी स्वीकार करने के लिए बाध्य हो 7) अनुसूचित जाति तथा जनजाति और वंचित तबकों पर विशेश ध्यान आकृट किया जाय। 8) मनरेगा में स्वयंसेवी संस्थाओं की भागीदारी बढ़ाना। 9) राज्यों को इलेक्ट्रॉनिक फण्ड मैनेजमेंट की एकीकृत प्रणाली अपनाने जिसके तहत मनरेगा के अन्तर्गत उपलब्ध केन्द्र सरकार द्वारा दी गई धनराशि का प्रदेष स्तर पर प्रावधान किया जाय। 10) इस धनराशि का निकासी करने का अधिकार ग्राम स्तर पर पंचायत को या प्रखण्ड स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी को या फिर जिला स्तर पर जिला परिशद को दिया जाय। 11) एक लेबर बजट तैयार करना, जिसमें काम का समय, काम में लगने वाले समय और काम मांगने वालों के लिए काम की मात्रा तथा पूरा होने में समय की जानकारी देने वाली योजना उद्दाष्त हो। 12) सभी प्रखण्डों में मनरेगा हेतु एक पूर्णकालिक कार्यक्रम अधिकारी की नियुक्ति हो। 13) ऐसे प्रखण्ड जहाँ अनुसूचित जाति व जनजाति की जनसंख्या 30 प्रतिशत से ज्यादा हो और बजट 12 करोड़ से अधिक हो, उनके लिए तीन कलस्टर फैसिलिटेशन टीम बनाई जाय। 14) 15 अगस्त से वार्षिक योजना के मंजूरी से लेकर आगामी वित्त वर्श के काम की शुरूआत तक का प्रत्येक कार्य तय सीमा के तहत विदित हो। ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रतिवेदन (2012) से स्पष्ट होता है

1. वर्ष 2006 से 2012 तक इस योजना में अब तक 1200 करोड़ रोजगार दिवस कार्य हुआ।

2. इस योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के मजदूरों को 110,000 करोड़ रूपये मजदूरी का भुगतान किया गया।

3. प्रत्येक वर्ष एक चौथाई परिवार इससे लाभन्वित हुए।

4. 80 प्रतिशत परिवारों को प्राप्त धनराशि सीधे बैंक या डाकखाने के माध्यम से भुगतान की गई।

5. बैंकों और डाकघरों में 10 करोड़ से अधिक खाते खोलेगए।

6. वर्ष 2012 तक मनरेगा के तहत 51 प्रतिशत कार्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति को दिया गया, जबकि 47 प्रतिशत महिलाओं को।

7. इस योजना के तहत 1 करोड़ 46 लाख कार्यों का निष्पादन किया गया।

8. 1 जनवरी 2011 से मनरेगा की मजदूरी दर को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ा गया, जिसके कारण विभिन्न राज्यों में 118 से 181 रूपये के बीच न्यूनतम मजदूरी भुगतान किया गया। जबकि वर्तमान में झारखण्ड में 225 रूपये तथा भारत सरकार द्वारा 193 रूपये न्यूनतम मजदूरी भुगतान किया जाता है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि विगत 14 वर्षों के दौरान मनरेगा के अन्तर्गत आधे से अधिक कार्य जल संचयन, सूखे से बचाव, बाढ़ से सुरक्षा, सिंचाई, भूमि विकास और ग्रामीण सम्पर्क को बेहतर बनाने के क्षेत्र में हुए हैं। अध्ययन करने से पता चलता है कि मनरेगा के कार्यों में भूजल स्तर की वृद्धि हुई है। पानी की उपलब्धता बढ़ी है और मिट्टी की उर्वरता में सुधार हुआ है। जल उपलब्धता बढ़ने से बंजर भूमि के बड़े हिस्से को खेती योग्य बनाया जा सकता है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वार्षिक प्रतिवेदन 2013–14 से स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय स्तर पर 2.31 करोड़ व्यक्तियों को रोजगार मुहैया कराया गया है जबकि इसी वित्तीय वर्ष में झारखण्ड राज्य में 7,42844 लाख लोगों को रोजगार प्रदान किया गया। वित्तीय वर्ष 2013–14 में राष्ट्रीय स्तर 55.78 प्रतिशत महिलाओं को, झारखण्ड राज्य में 31.03 प्रतिशत महिलाओं को, मनरेगा के तहत रोजगार प्रदान किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रतिवेदन 2018–19 से स्पष्ट होता है कि मनरेगा मजदूरों को औसत रूप से 51 दिन ही रोजगार उपलब्ध हो पाता है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में मनरेगा पर 101,500 करोड़ रूपये खर्च करने का प्रावधान किया गया जबकि 2019–20 में इस पर 71 हजार करोड़ रूपये खर्च हुए थे। झारखण्ड में वित्तीय वर्ष 2017–18 में 592.74 लाख, 2018–19 में 536.90 लाख, 2019–20 में 642.01 लाख मानव दिवस का सृजन किया गया। झारखण्ड में कुल 11 करोड़, 78 लाख 995 नए परिवारों को जॉब कार्ड दिया गया जिसमें कुल 15 लाख 81 हजार 748 मजदूर शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2020–21 में झारखण्ड के लिए 2 लाख 74 हजार 184 लाख रूपये तथा 800 लाख मानव दिवस श्रम बजट का लक्ष्य निर्धारित किया गया। झारखण्ड में 28 मई 2021 तक कुल जॉब कार्ड 65.45 लाख निर्गत किया गया जबकि एक्टिव जॉब कार्ड 31.93 लाख है इनमें अनुसूचित जाति का एक्टिव जॉब कार्ड का 10ण्21ः अनुसूचित जाति का 26.85ः था। जबकि पूर्वी सिंहभूम जिले में 11 प्रखण्ड, 232 पंचायत तथा 1712 गाँव है और यहाँ 4864 कार्य दिवस सृजित हुआ। 2021–22 में पूर्वी सिंहभूम में 1,47,285 कार्य प्रारंभ किये गये और उनमें 94,641 पूर्ण हुआ यानी 66.16ः कार्य सम्पन्न हुआ है।

शोध समस्या की गवेशणा ; Research problems to be investigated) :– प्रस्तुत शोध आलेख का उद्देश्य मनरेगा अधिनियम 2005 का झारखण्ड में ग्रामीण महिलाओं पर मनरेगा के प्रभाव का एक क्षेत्रीय अध्ययन करना है, ताकि जुगसलाई प्रखण्ड कोई ग्रामीण वयस्क व्यक्ति जो काम करने का इच्छुक है, उसे उचित रोजगार उपलब्ध कराना, रोजगार नहीं देने पर उचित बेरोजगारी भत्ता प्रदान करना, योजना में सार्थक मांग पैदा कर वेतन के भुगतान में देरी न हो, काम की गुणवता में सुधार हो और शिकायत निवारण तंत्र मजबूत हो, योजना में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगने जैसी समस्याओं के संबंध में इस वैधानिक अधिकार अधिनियम में कोई चर्चा नहीं की गई है।

पूर्ववर्ती साहित्य की समीक्षा :– प्रस्तावित शोध आलेख की समस्या से जुड़ी कई पुस्तकें एवं आलेखों का प्रकाशन भारत एवं झारखण्ड में हुआ है। झारखण्ड के ग्रामीण विकास की सामाजिक–आर्थिक स्थितियों के साथ–साथ उनकी समस्याओं से संबंधित अनेक अध्ययन हुए हैं, परन्तु झारखण्ड की ग्रामीण महिलाओं पर मनरेगा के प्रभाव से संबंधित बहुत कम अध्ययन हुए है।

विजय कुमार राय (2012) की पत्रिका पनोरमा से स्पष्ट होता है कि मनरेगा की समीक्षा रिपोर्ट, मनरेगा के संशोधित प्रारूप, मिहिर शाह समिति की रिपोर्ट तथा मनरेगा के तहत न्यनन्तम मजदूरी विवाद पर विस्तार से जानकारी प्राप्त होती है। कुरूक्षेत्र (2006) से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण अवसंरचना को विकसित करने के उद्देष्य से 2 फरवरी 2006 से लागू की गई केन्द्र सरकार की यह योजना हर ग्रामीण परिवार के समक्ष और इच्छुक व्यक्ति को साल में न्यूनतम 100 दिनों का काम दिये जाने का कानूनी अधिकार दिया गया है। इस योजना के लिए 200 जिलों में वे सभी 150 जिले भी शामिल है जहाँ काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू किये जा चुके हैं। इस योजना के तहत प्रारंभिक रूप में आन्ध्र प्रदेष में 13, असम में 7, बिहार में 23, छत्तीसगढ़ में 11, गुजरात में 6, झारखण्ड में 20, कर्नाटक में 5, महाराष्ट्र में 12, उड़ीसा में 19, तमिलनाडु में 6, उत्तर प्रदेष और पश्चिम बंगाल के 22–22 जिले यानि कुल 200 जिले को शामिल किया गया।

आर0 एस0 खन्ना (1996) ने अपने आलेख ''लिबरलाइजेशन एण्ड अनइम्प्लायमेंट इन इन्डिया' में उदारीकरण तथा बेरोजगारी का सहसम्बन्ध बनाते हुए बेरोजगारी के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से लिखा।

प्रो0 एस0 एन0 लाल तथा डा0 एस0 के0 लाल (2011) की पुस्तक – "भारतीय अर्थव्यवस्थाः सर्वेक्षण तथा विश्लेशण" में बेरोजगारी की अवधारणा, इसकी माप, रोजगार लोच, मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी पर जहाँ विस्तार से चर्चा किया गया है तथा नेशनल रूरल एम्पलायमेंट गारण्टी स्कीम के बारे में लिखा है कि 2007–08 के बजट में इसी योजना को 330 जिलों में तथा इस समय देश के सभी 619 जिलों में लागू किया गया है। 2 अक्टुबर 2009 को इसका नाम परिवर्त्तित कर "महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी एक्ट" कर दिया गया है। यह एक माँग प्रेरित स्कीम है जो रोजगार पाने को कानूनी अधिकार के रूप में स्थापित है। ग्राम पंचायत इस स्कीम की क्रियान्विक इकाई है तथा परिवार लाभ प्राप्त इकाई है। गरीबी निवारण की दिशा में यह योजना एक महत्वपूर्ण शुरूआत है। 2009–10 में लाभान्वित होने वालों में अनुसूचित जाति 29 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति 22 प्रतिशत तथा महिलाओं की भागीदारी 50 प्रतिशत रही। रोजगार सृजन की यह योजना सार्वजनिक परिसम्पत्तियों को विकसित करने के लिए मजदूरी की व्यवस्था करती है।

में पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में मनरेगा के अध्ययन के दौरान कहा है कि यहाँ जॉब कार्ड बनाने में काफी विलम्ब होता है तथा समय पर मनरेगा के श्रमिकों को भुगतान नहीं होता है। परन्तु सरकार द्वारा बनाये गये इस कानून से कई लोगों को रोजगार मिला है, जिसका सीधा प्रभाव उन मजदूरों के सामाजिक–आर्थिक क्षेत्र पर पड़ा है।

याँ द्रेज एवं रीतिका खेरा (2009) The Sattle for employment guarantee में लिखा है कि तेंदुलकर रिपोर्ट के अनुसार भारत में 37ः ग्रामीण आबादी गरीबी रेखा से नीचे है, और उनकी आजीविका का मुख्य साधन कृषि है। ऐसे में सरकार द्वारा बनायी गयी महात्मा गाँधी रोजगार गारण्टी योजना, जिसमें वर्ष में 100 दिन का रोजगार अकुशल ग्रामीण श्रमिकों को प्राप्त करने का कानूनी अधिकार है, वह भारत का एक महत्वपूर्ण कानून है। जिसका प्रभाव, विशेषकर गरीबों की स्थिति में सुधार लाने में हो रहा है। खासतौर से अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाओं की स्थिति में सुधार हो रहा है।

राघव गुहा (1996) ges, Participation and Targeting – The case of the employment Guarantee Scheme in India में मनरेगा संबंधी आन्ध्र प्रदेश और राजस्थान के अध्ययन के दौरान कहा है कि मनरेगा के तहत प्राप्त आय सबसे ज्यादा 21ः वैज्ञानिक पद्धति वह व्यवस्थित प्रणाली है, जिसके अन्तर्गत तथ्यों के संकलन करके उनका निरीक्षण, सत्यापन, वर्गीकरण तथा विश्लेशण किया जाता है। अतः यह अध्ययन अनुभाविक तथा वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है।

ग्रामीण महिलाओं पर महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम, 2005 के प्रभाव के अपने अध्ययन के अन्तर्गत प्राथमिक तथ्यों का संकलन क्षेत्रीय सर्वेक्षण के माध्यम से किया गया है।

प्रस्तावित अध्ययन एक अनुभाविक अध्ययन (Empircal Studies) है, जिसका तात्पर्य ऐसे विश्वासों से है जिन्हें अवलोकन, निरीक्षण–परीक्षण तथा व्यवस्थित प्रयासों द्वारा प्राप्त किया जाता है। जिनकी सत्यता का परीक्षण ज्ञानेन्द्रियों द्वारा संभव है। यह अध्ययन क्षेत्रीय कार्य पर आधारित है तथा वर्णात्मक शोध प्ररचना के तहत इस कार्य को पूरा किया गया है।

शोध अध्ययन की तकनीक : निदर्शन + साक्षात्कार अनुसूची + असहभागी अवलोकन + द्वितीयक स्रोत + सांख्यिकीय विधि

सविचार अथवा उद्देश्यपूर्ण निदर्षन के द्वारा प्रस्तुत अध्ययन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उन्हीं इकाईयों का चयन किया गया है। **साक्षात्कार अनुसूची** : मनरेगा के तहत रोजगार प्राप्त अकुशल महिला श्रमिक को अध्ययन की इकाई के रूप में चयन कर 30 उत्तरदाताओं के द्वारा साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से तथ्यों का संकलन किया गया है। **असहभागी अवलोकनः** प्रस्तुत आलेख में असहभागी अवलोकन का प्रयोग करते हुए तथ्यों का संकलन किया गया है। **द्वितीयक स्रोतः** प्रस्तुत शोध आलेख से संबंधित तथ्य संकलन हेतु द्वितीयक स्रोतों के तहत प्रकाशित पुस्तक, डायरी, जर्नल, समाचार, पत्र–पत्रिकाएँ आदि का प्रयोग किया जाना। **सांख्यिकीय विधि** – इस विधि से संकलित किए गए तथ्यों का विश्लेषण एवं परिणाम को प्रकट किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र – प्रस्तुत शोध आलेख झारखण्ड राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिला के गोलमुरी–सह– जुगसलाई प्रखण्ड स्थित ब्यांगबिल पंचायत के ग्रामीण महिलाओं पर मनरेगा का प्रभाव तथा उद्देश्यानुसार अध्ययन किया गया है। गोलमुरी –सह –जुगसलाई प्रखण्ड के ब्यांगबिल पंचायत के निवासी निजी क्षेत्र के काम करने वाली कार्यशील स्त्री, औद्योगिक मजदूर, गैर कार्यशील व्यक्ति, बेरोजगारी रेखा से नीचे रहने वाले विभिन्न धार्मिक समुदाय के लोग, विभिन्न जाति यथा अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग और समस्त जाति के महिलाओं को आध ाार बनाकर यह सर्वेक्षण किया गया है। इसके अन्तर्गत 18 वर्ष से अधिक आयु के महिलाओं को आधार बनाया गया है। गोलमुरी–सह–जुगसलाई प्रखण्ड पूर्वी सिंहभूम के जिला मुख्यालय से 6 किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा में स्थित यह प्रखण्ड पूर्वी सिंहभूम जिला के धालभूम अनुमंडल के अन्तर्गत आता है। विदित हो कि इस जिले में कुल 2 अनुमण्डल, 11 प्रखण्ड, 221 पंचायत तथा 1669

गाँव है। पूर्वी सिंहभूम जिला कुल 3533 वर्ग कि0 मी0 क्षेत्र में फैला हुआ है, इस जिले की कुल आबादी 22,91000 है जिसमें 0–6 आयु समूह के बच्चों की संख्या 2,86,322 है। साक्षरता दर 76.88 प्रतिशत है। यह जिला एक औद्योगिक शहर है जहाँ टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, द टिनप्लेट कम्पनी इंडिया लिमिटेड, गोलमुरी टाटा सर्विस, फेजर, बर्मामाईंस जमशेदपुर, टिमकेन इण्डिया, सिदगोड़ा, जमशेदपुर इण्डिया केबल गोलमुरी, ट्यूब कम्पनी, लाफार्ज सीमेंट गोविन्दपुर, टाटा पिगमेंट बिष्टुपुर, टाटा रायसेन सिदगोड़ा जमशेदपुर में स्थित है। इस जिले में जनजातियों की आबादी काफी ज्यादा है, मुख्य रूप से मुण्डा तथा हो जनजाति का निवास है। मुण्डारी, संथाली तथा खड़िया भाषा मुख्य रूप से बोली जाती है ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर मध्यम वर्ग तथा मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं, जिनका मुख्य भोजन चावल एवं साग है।

गोलमुरी सह जुगसलाई प्रखण्ड के 55 पंचायतों में से ब्यांगबिल पंचायत में राजस्व गाँव है यथा नान्दुप, कुदादा, ब्यांगबिल, मार्चागोड़ा, लायलम, तथा कदमडीह। यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक तथा मध्य विद्यालय है। इनलोगों का मुख्य बाजार जमशेदपुर है, जहाँ से लोग अपने रोजमर्रा का समान खरीदते हैं। यातायात की सुविधा है। ऑटो – रिक्शा आदि की सुविधा है। 10 किलोमीटर की दूरी पर टाटा रेलवे स्टेशन है।

इस पंचायत में अनुसूचित जनजातियों की बहुलता है। कदमडीह गाँव थोड़ा बहुत आधुनिक है, परन्तु शेष राजस्व गाँव में रोजगार की कमी है। यहाँ कुल 1200 लोगों का जॉब कार्ड बना हुआ है। जमशेदपुर शहर से 10–12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस पंचायत में मनरेगा के तहत डोभा, तालाब, शौचालय तथा पशुपालन शेड का कार्य किया गया है। यातायात की सुविधा भी है, फलतः यह क्षेत्र सर्वेक्षण हेतु काफी उपयुक्त है।

महत्वः–

1. मनरेगा की सफलता और असफलता को जानने में।
2. मनरेगा के तहत महिलाओं को रोजगार में किस मात्रा में सहभागी बने हैं, इसे जानने में।
3. गरीबी को कम करने में मनरेगा की भूमिका को जानने में।
4. मनरेगा में किस मात्रा में परिसम्पति का सृजन हुआ है, उसका सही चित्रण करने में।
5. मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध नहीं होने पर बेरोजगारी भत्ता की वास्तविक स्थिति को जानने में तथा पलायन के बारे में वास्तविक जानकारी हासिल करने में।

तथ्य विश्लेषण एवं परिणाम – प्रस्तुत शोध आलेख में उत्तरदाताओं से अनुसूची प्रपत्र के माध्यम से प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण एवं परिणाम सांख्यिकीय विधि से किया गया है, जो निम्न हैः–

उत्तरदाताओं की सामाजिक एवं पारिवारिक विवरणः– 1 कुल उत्तरदाताओं में सर्वाधिक 60 प्रतिशत उत्तरदाता 29–38 आयु समूह के हैं, जबकि सबसे कम 6.67 प्रतिशत 49 वर्ष से ज्यादा आयु समूह के हैं। 2.सर्वाधिक 93.33 प्रतिशत उत्तरदाता निरक्षर हैं, जबकि इण्टर, बी.ए., एम.ए. पास एक भी नहीं है। 3. सर्वाधिक 86.64 प्रतिशत उत्तरदाता अनुसूचित जनजाति के हैं जबकि सामान्य जाति एवं पिछड़ा जाति से एक भी नहीं है। 4. सर्वाधिक 66.66 प्रतिशत उत्तरदाता हिन्दुधर्म से है, जबकि मुस्लिम धर्म से एक भी नहीं है। 5. सर्वाधिक 66.66 प्रतिशत उत्तरदाता विवाहित है, जबकि तलाकषुदा एक भी नहीं है। 6. सर्वाधिक 66.66 प्रतिशत उत्तरदाता एकल परिवार से है जबकि 33.34 प्रतिशत संयुक्त परिवार से है। 7. सर्वाधिक 33.36 प्रतिशत उत्तरदाता को एक से दो बच्चे हैं, जबकि बच्चे विहीन परिवार 16.66 प्रतिशत है। 8. सर्वाधिक 66.66 प्रतिशत उत्तरदाता मजदूरी करते हैं, जबकि व्यापार और नौकरी में एक भी नहीं है। 9. शत–प्रतिशत उत्तरदाता की मासिक आय 4000–6000 रूपया है। 10. सर्वाधिक 66.66 प्रतिशत उत्तरदाता के पास पक्का मकान है, जबकि 16.68 प्रतिषत मिश्रित घर में रहता है। 11. सर्वाधिक 66.66 प्रतिशत उत्तरदाता के घर में शौचालय की सुविधा है, जबकि 6.66 प्रतिशत के घर में ही बिजली की सुविधा है। 12.सर्वाधिक 66.66 प्रतिशत उत्तरदाता एलौपेथिक विधि से ईलाज कराते हैं, जबकि आयुर्वेदिक विधि से कोई भी ईलाज नहीं कराते हैं। 13. सर्वाधिक 50 प्रतिशत उत्तरदाता प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में ईलाज कराते हैं, जबकि सबसे कम 10 प्रतिशत सदर अस्पताल में ईलाज करवाते हैं। 14 सर्वाधिक 86.66 प्रतिशत उत्तरदाता टेलीविजन से अपना मनोरंजन करते हैं जबकि खेल–कूद से एक भी मनोरंजन नहीं करते हैं। 15. सर्वाधिक 50 प्रतिषत उत्तरदाता मुर्गी पालन करते हैं, जबकि भैंस पालन एक भी नहीं करते हैं। 16. सर्वाधिक 86.67 प्रतिशत उत्तरदाता के पास टेलीविजन है, जबकि कम्प्यूटर और लैपटॉप किसी के पास नहीं है। 17. सर्वाधिक 66.37 प्रतिशत उत्तरदाता चावल का उत्पादन करते हैं, जबकि 33.33 प्रतिशत उत्तरदाता मिश्रित फसल का उत्पादन करते हैं। 18. षत–प्रतिशत उत्तरदाता मांसाहारी है। 19. शत–प्रतिशत उत्तरदाता को साप्ताहिक हाट (बाजार) की सुविधा है। 20. शत–प्रतिशत उत्तरदाता खेती का कार्य करते हैं। 21. सर्वाधिक 50 प्रतिशत उत्तरदाता को पशुपालन से भी आय होती है, जबकि 50 प्रतिशत को खेती से आय नहीं आती है। 22. शत–प्रतिशत उत्तरदाता को यातायात की सुविधा उपलब्ध है।

ग्रामीण महिलाओं पर मनरेगा का प्रभाव से संबंधित तथ्य विश्लेषण :–1.सर्वाधिक 73.34 प्रतिशत उत्तरदाताओं को जानकारी

है कि 2006 से ही मनरेगा कानून बना है। सर्वाधिक 83.34 प्रतिशत उत्तरदाताओं का जॉब कार्ड पंचायत भवन में बनते है। 3. सर्वाधिक 66.66 प्रतिशत उत्तरदाताओं को 30 दिन में जॉब कार्ड प्राप्त होता है। 4. सर्वाधिक 66.66 प्रतिशत उत्तरदाताओं स्वयं के पैसे से फोटो खींचवाते हैं। 5. सर्वाधिक 66.66 प्रतिशत उत्तरदाता मनरेगा में 4 से 6 वर्ष से कार्य करती है। 6. सर्वाधिक 83.34 प्रतिशत उत्तरदाता को मनरेगा से 167.00 रूपया दैनिक मजदूरी प्राप्त होता है। 7 सर्वाधिक 66.66 प्रतिशत को अपने घर से 1 किमी0 की दूरी पर ही रोजगार प्राप्त हो जाता है। 8. शत–प्रतिशत उत्तरदाताओं को सही समय पर मजदूरी प्राप्त नहीं होता है। 9. सर्वाधिक 50 प्रतिशत उत्तरदाताओं को घर से बाहर कार्य करने पर पति के द्वारा रोका जाता है। 10. सर्वाधिक 93.34 प्रतिशत उत्तरदाताओं के साथ कार्य स्थल पर पुरूषों के द्वारा अच्छा व्यवहार किया जाता है। 11. सर्वाधिक 83.34 प्रतिशत उत्तरदाता मनरेगा में कार्य करने पर बच्चों की देखभाल पारिवारिक सदस्यों के द्वारा की जाती है। 12. सर्वाधिक 66.66 प्रतिशत उत्तरदाता की मनरेगा से प्राप्त आय से आर्थिक दिक्कतें दूर हुई है। 13.सर्वाधिक 66.66 प्रतिशत उत्तरदाताओं की मनरेगा से वार्षिक औसत आय 5000 से 10000 रूपया ही होता है। 14. शत–प्रतिशत उत्तरदाता मनरेगा से आय प्राप्ति के बाद भी पति पर आश्रित है। 15. सर्वाधिक 33.34 प्रतिशत उत्तरदाता ने मनरेगा से प्राप्त आय से शौचालय बनाने और आजीविका चलाने का कार्य किया है। 16. सर्वाधिक 66.64 प्रतिशत उत्तरदाता को अर्जन करने के कारण परिवार में उनके निर्णय को स्थान दिया जाता है। 17. शत–प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि मनरेगा में कार्य करने से उनकी भूमिका बढ़ी है। 18. सर्वाधिक 83.34 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा है कि भूमिका संघर्श की स्थिति उत्पन्न हुई है। 19. सर्वाधिक 83.34 प्रतिशत उत्तरदाता सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त हुए हैं। 20. सर्वाधिक 66.66 प्रतिशत उत्तरदाता नशापान नहीं करते हैं। 21. सर्वाधिक 66.66 प्रतिशत उत्तरदाता घरेलू हिंसा का शिकार होती है। 22.शत–प्रतिशत उत्तरदाता मनरेगा कानून में सुधार चाहती है। 23. सर्वाधिक 83.34 प्रतिशत उत्तरदाता मनरेगा कानून की मजदूरी की दर में सुधार चाहती है। 24. सर्वाधिक 83.34 प्रतिषत उत्तरदाताओं ने कहा है कि मनरेगा से गाँव में परिसम्पति का निर्माण हुआ है। 25. सर्वाधिक 33.33 प्रतिशत उत्तरदाता का कहना है कि मनरेगा से पंचायत में तालाब, डोभा, तथा शौचालय का निर्माण हुआ है, जबकि 6.66 प्रतिशत जानवरों के शेड का निर्माण हुआ है। 26. सर्वाधिक 83.34 प्रतिशत उत्तरदाता का कहना है कि मनरेगा में कार्य करने पर कार्यस्थल पर सुरक्षित रहती है। 27. सर्वाधिक 83.34 प्रतिशत उत्तरदाता का कहना है कि मनरेगा से प्राप्त आय से जीवनशैली में परिवर्त्तन आया है। 28. सर्वाधिक 33.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि मनरेगा से प्राप्त आय से स्वास्थ्य की रक्षा, घर निर्माण, पौष्टिक आहार में वृद्धि, पहनावा में सुधार तथा बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने से जीवनशैली में परिवर्त्तन आया है।

निष्कर्श एवं सुझाव – प्रस्तुत शोध आलेख में ग्रामीण महिलाओं पर मनरेगा का प्रभावः एक सामाजिक–आर्थिक अध्ययन विशेषकर पूर्वी सिंहभूम जिला के गोलमुरी कम जुगसलाई प्रखण्ड के ब्यांगबिल पंचायत के विषेश सन्दर्भ में है। प्रस्तुत आलेख में ब्यांगबिल पंचायत को अध्ययन क्षेत्र के लिए चयनित किया गया तथा उद्देश्यपूर्ण निदर्शन पद्धति द्वारा 30 उत्तरदाताओं का चयन अनुसूची प्रपत्र के माध्यम से उद्देश्यानुसार आँकड़ों का संकलन किया गया। प्रस्तुत आलेख में विवरणात्मक तथा अनुभाविक अध्ययन पद्धति का उपयोग किया गया है तथा सांख्यिकी पद्धति से आँकड़ों का विष्लेशण किया गया है। पूर्ववर्त्ती साहित्य का अध्ययन कर उपकल्पना तथा उद्देश्य का निर्माण किया गया।

तथ्य विश्लेषण एवं प्राप्त परिणाम के आधार पर कहा जा सकता है कि सर्वाधिक ग्रामीण महिलाएं जो मनरेगा में कार्य करती है, वह 29–38 आयु समूह वाली है जो अधिकांशतः निरक्षर है, तथा अनुसूचित जनजाति एवं हिन्दू धर्म से संबंधित है। 66.66 प्रतिशत महिलायें विवाहित हैं, जो एकल परिवार में रहती है, इन्हें औसत रूप से एक से चार बच्चे हैं और ये मजदूरी करती हैं। परिवार की मासिक आय 4000 से 6000 रूपया है। अधिकांश के पास पक्का मकान है जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनायी गयी है। घर में शौचालय, पानी की सुविधा है परन्तु बिजली की सुविधा पर्याप्त रूप से नहीं है। बीमार पड़ने पर एलौपैथिक पद्धति से ईलाज करवाती है, परन्तु ये अपना ईलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में ही करवाती है। ये लोग अपना मनोरंजन अधिकांशतः टेलीविजन देखकर करती है। ये महिलायें मुर्गीपालन करती है और खेती में धान एवं मिश्रित फसल का उत्पादन करती हैं। पशुपालन से भी आय होती है, यातायात की सुविधा है, साप्ताहिक बाजार से दिनचर्या का समान खरीदती है एवं मांसाहारी भोजन करती है। इस प्रकार इनकी सामाजिक एवं पारिवारिक स्थिति निम्न है।

प्राप्त तथ्य विश्लेषण एवं अध्ययन से ग्रामीण महिलाओं पर मनरेगा का प्रभाव संबंधी स्थिति उजागर होता है। अधिकाशतः ग्रामीण महिलाओं को मनरेगा कानून की जानकारी है कि यह कानून वर्ष 2006 से लागू हुआ है, इनका जॉब कार्ड पंचायत में बनता है, परन्तु उन्हें 30 दिन में जॉब कार्ड प्राप्त होता है, जबकि 15 दिन में प्राप्त होना चाहिए। जॉब कार्ड हेतु फोटो भी ये स्वयं खींचवाती हैं, जबकि यह कार्य रोजगार सेवक का है। अधिकांश महिलाएँ 4 से 6 वर्श से मनरेगा में कार्य कर रही है, दैनिक मजदूरी सरकार के प्रचलित दर पर प्राप्त होती है तथा रोजगार भी घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर प्राप्त हो जाता है, परन्तु मजदूरी सही समय पर नहीं मिलती है। पति के द्वारा घर से बाहर कार्य करने पर आधी महिलाओं को रोका भी जाता है, उनका कहना है कि कार्यस्थल पर पुरूषों का व्यवहार अच्छा नहीं है।

ये महिलाएँ मनरेगा से वार्षिक औसत आय के रूप में 5000 रूपया से 10000 रूपया तक अर्जन कर लेती है, जब ये कार्य करने जाती है तो इनके बच्चों की देखभाल परिवार के सदस्य करते हैं, अपनी आय से इन्होंने आर्थिक दिक्कतों को दूर किया है, फिर भी पति पर आश्रित रहती है। मनरेगा से प्राप्त आय को आजीविका चलाने एवं शौचालय बनाने पर खर्च करती है। अर्जन करने के कारण परिवार के निर्णय में इन महिलाओं की राय को स्थान मिलता है। हलाँकि इनकी भूमिका बढ़ी है और भूमिका संघर्ष भी उत्पन्न हुआ है। परन्तु सामाजिक – आर्थिक रूप से ये सशक्त हो रही है। अधिकांश महिलाएँ नशापान नहीं करती हैं फिर भी घरेलू हिंसा का शिकार होती है, जबकि मनरेगा से इसके गाँव में तालाब, डोभा, पशुपालन शेड आदि परिसम्पति का निर्माण हुआ है। शत–प्रतिशत महिलाएँ मनरेगा कानून में सुधार चाहती हैं और वो ये कि मजदूरी की दर में बढ़ोत्तरी की जाय। हलाँकि मनरेगा में कार्य करने से इनकी जीवनशैली में परिवर्त्तन आया है, इनके भोजन तथा पहनावा में बदलाव आया है और बच्चों को शिक्षा दिलवाने के प्रति जागरूकता भी आई है।

सुझाव : 1 जॉब कार्ड सही समय पर प्रदान करवाया जाना चाहिए। 2 जॉब कार्ड बनवाने हेतु फोटो खींचवाने की समुचित व्यवस्था पंचायत भवन में होनी चाहिए। 3 गरीबी रेखा का निर्धारण नये सिरे से की जाय यथा तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट के आधार पर। 4 कोई ग्रामीण वयस्क व्यक्ति जो काम करने का इच्छुक हैं, उसे उचित रोजगार उपलब्ध कराना। 5 रोजगार नहीं देने पर बेरोजगारी भत्ता की राषि प्रदान करने को सुनिश्चित करना। 6 मनरेगा की मजदूरी भुगतान में देरी न हो। 7 मनरेगा योजना के लाभुकों का प्रखण्ड स्तर से निरीक्षण किया जाय ताकि उस रूपये का सदुपयोग हो पाया है या नहीं, इसका पता चल सके। 8 काम की गुणवत्ता में सुधार हो। 9 शिकायत निवारण तंत्र मजबूत हो। 10 योजना में आये भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे। 11 किसी भी ग्रामवासी को जॉब कार्ड निर्गत करने से पूर्व संबंधित वार्ड के वार्ड पार्शद से उसकी पारिवारिक स्थिति की जानकारी ले लेना चाहिए।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची ;Bibliography)

1. *बसु, डा. दुर्गा दास (2013), भारत का संविधान : एक परिचय, लेविसस मैक्सिस, गुड़गांव, हरियाणा।*
2. *ाारत का राजपत्र, 7 सितम्बर 2005, असाधारण भाग 11, खण्ड 1*
3. *ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार प्रतिवेदन 2012*
4. *ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार प्रतिवेदन 2013–14, 2018–19, 2019–20*
5. *राय, विजय कुमार (2012), वार्षिक पत्रिका पनोरमा, विकास पनोरमा प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ 17–19*
6. *कुरूक्षेत्र (2006), अंक 10, मासिक पत्रिका, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, पृ 6–7*
7. *खन्ना, आर. एस. (1996), लिबरलाईजेषन एण्ड आनइम्प्लाईमेंट इन इंडिया, इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जुलाई–सितम्बर 1996,*
8. *लाल, प्रो. एस. एम. तथा लाल, एस. के. (2011), भारतीय अर्थव्यवस्था सर्वेक्षण तथा विश्लेषण, शिवम पब्लिकेशर्स, इलाहाबाद, पृ 3.16, 3.20, 3.30*
9. *देज, सुभाशिष (2010), इवेल्यूटिंग इंडियाज नरेगाज : द केस ऑफ वीरभूम डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल, आई.एस.एस. वर्किंग। पृ 490*
10. ***ड्रेज, ज्यां एवं खेरा रीतिका**, (2009) द सेटल फॉर इम्प्लॉयमेंट गारंटी, फ्रंटलाइन, वोल्यूम 26(1)*
11. *राधव गुहा (1996), वेजेज पार्टीशिपेषन एंड टारगेटिंग – द केस ऑफ द इम्प्लाइमेंट गारंटी स्कीम इन इंडिया, जर्नल ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट, वॉल्यूम 8, नं. 6, पृ 785–803*
12. *ललित माथुर (2007), इम्प्लाइमेंट गारंटी प्रोग्रेस : प्रोग्रेस सो फार, दिसम्बर 29, 2007*
13. ***पाण्डेय, सुरेन्द्र एवं झा, संजय कुमार** (2013) विकास और परिवर्त्तन का समाजषास्त्र, एस0के0 पब्लिकेशन राँची।*
14. ***मुखर्जी, रवीन्द्र नाथ** (2009) भारतीय समाज व संस्कृति, विवेक प्रकाशन, नई दिल्ली।*
15. ***पूर्वी सिंहभूम जिला का मनरेगा वार्षिक रिपोर्ट 2010–2011***
16. ***झा. पी. के. (1999)** डिफोरेस्टेशन एण्ड विलेज लाईफ, मित्तल प्रकाशन, नई दिल्ली।*
17. ***उपाध्याय वी. एस. एवं पाण्डेय श्री (2003)**: ट्राइबल' डेवलपमेंट इन इण्डिया, क्राउन प्रकाशन, राँची।*
18. ***शुक्ला, आर. एस. (2000)**: फॉरेस्ट फॉर ट्राइबल डेवलपमेंट, ह्वीलर पब्लिकेशन, नई दिल्ली।*